न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 462/2016 पुराना, 62/2023 दायर तारीख :– 7/9/2016

1. नाथूराम यादव पुत्र नारायणलाल यादव जाति अहीर निवासी सांवत का बास तह0 फुलेरा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये:–

1. श्रीमान जिलाधीश महोदय जयपुर जि0 जयपुर
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील फुलेरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 14/11/25

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एक अत्यन्त ही गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जो ग्राम सावत का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान में निवास करता है। पूर्व में वादी एक भूमि हीन व्यक्ति था। जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजन हेतु भूमि चाहने हेतु भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष ग्राम बधाल में दिनांक 29.05.76 को पेश किया। जिस पर भू आवंटन कमेटी ने प्रार्थी/वादी का प्राथना पत्र स्वीकार करके उसी दिन वादी को भूमिहीन व्यक्ति मानते हुये आराजी खसरा नम्बर 221/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डियागढ तहसील फुलेरा जिला जयपुर की आवंटित की गयी थी। उसी दिन से प्रार्थी/वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। तथा काश्त करता था। वक्त गुजरते अकाल पड़ने व पानी सुखने के कारण काश्त नहीं हो पा रही है व पउत पर कब्जा आज भी वादी का है। उपरोक्त आराजीयात खसरा नम्बर 221/2 वाके ग्राम मुण्डियागढ फुलेरा में स्थित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से वादी के उक्त भूमि आंवटित की गई में आवंटन आदेश में भूमि का स्थान मुण्डियागढ तह0 फुलेरा जिला जयपुर की जगह सावंत का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया । जबकि वादी को उक्त भूमि मुण्डियागढ तह0 फुलेरा जिला जयपुर की आंवटित की गई थी। ग्राम सांवत का बास में तो वादी निवास करता है। वादी एक अनपढ साक्षर व भोला व्यक्ति है। जो कि बिना किसी आवश्यकता के राजस्व रिकोर्ड व आवंटन आदेश का निरीक्षण किये आवंटन दिनांक से आज तक लगातार काबिज काश्त करता आ रहा है।हाल में वादी कृषि तकनीकी की आधुनिकता को अपनाने वास्ते बैंक से कुछ लेने की आवश्यकता महसूस की और इसी उद्देश्य से पटवार हलका मूण्डियागढ से स्वंय को आवंटित भूमि की जमाबन्दी लेने की मांग की तब पटवारी हल्का ने वादी को अवगत करवाया कि आपको आंवटित भूमि का नामान्तकरण नहीं खुला है। और हम तब तक नहीं खोल सकते जब तक उक्त आवंटन आदेश में ग्राम सावंत का बास की जगह ग्राम मुण्डियागढ दुरूस्त नहीं करवा लेते हो। तब वादी ने पटवार हल्का से जमाबन्दी खसरा नम्बर 221/2 ग्राम मुण्डियागढ पटवार हल्का बासडी खुर्द ने ग्राम सांवत का बास में मात्र खसरा नम्बर 01 ल0 212 तक ही खसरा नम्बर होना जाहिर किया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी को खसरा नम्बर 221/2 की भूमि ही आवंटित की गई थी। लेकिन सहवन से गांव का नाम मुण्डियागढ की जगह सांवत का बास गलत दर्ज हो गया है। वादी ने अपनी उक्त खसरा नम्बर 221/2 की आवंटन की गई भूमि के आवंटन आदेश में ग्राम सावंत का बास की जगह मुण्डियागढ दुरूस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 2 को कई बार मौखिक निवेदन किया। लेकिन वादी को आश्वास देते रहे कि वे आवंटन आदेश दुरूस्ती करवाकर खातेदारी में वादी का नाम दर्ज करवा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

देगें। लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही न होने पर वादी ने दिनांक 07.10.2006 को एक 2 माह का नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अधिवक्ता जरिये एoडीo प्रेषित करवाया जो नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त होने पर भी दुरूस्ती इन्द्राज आवंटन आदेश में न करके वादी के नाम खातेदारी अंकन नहीं करवाया जिसकी वजह से प्रार्थी/वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण से जवाब पेश किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है खसरा नम्बर 221/2 रकबा 2.17 बीघा भूमि ग्राम मुण्डियागढ में स्थित है। ग्राम सावंत का बास में खसरा नम्बर 01 लगायत 212 तक तहरीर है अर्थात मूल रूप से 212 खसरा नम्बर तक है। जबकि वादी को वादी के कथनानुसार खसरा नम्बर 221/2 में भूमि आवंटित हुयी है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किय गए

- आया वादी को दिनांक 29.05.1976 के आवंटन आदेश के मुताबिक विवादित भूमि 221/2 आ0खसरा नम्बर ग्राम मूण्डियागढ के बजाय ग्राम का नाम सांवत का बास गलत अंकित कर आवंटन किया है जो कि वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।
  वादी
- आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त विवादित आ0ख0न0221/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के पुनः आवंटन व बेदखली के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
  वादी
- आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 221/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ग्राम सांवत का बास में स्थित है।
  प्रतिवादीगण
- आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 221/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मूण्डियागढ के दुरूस्ती की घोषणा का वाद वादी में मियाद बाहर पेश किया है।
  प्रतिवादीगण
- अनुतोष ?

4. वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में श्री नाथराम , श्री हरिराम यादव, श्री गोकुलराम यादव के सशपथ बेचान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–01 नकल आवंटन आदेश , प्रदर्श–02 नकल प्रोसडिंग , प्रदर्श –03 पटवार मण्डल बासडी खुर्द प्रमाण पत्र, प्रदर्श–04 जमाबन्दी संवत 2059–62 , प्रदर्श–05 नोटिस , प्रदर्श–06 तहसीलदार नोटिस जवाब प्रदर्शित करवाए गए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वरवक्त बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.76 हो कृषि प्रयोजन हेतु भूमि चाहने हेतु पेश किया जिस पर भू–आवंटन कमेटी ने वादी को उसी दिन भूमि हीन व्यक्ति मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 221/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डियागढ तहसील फुलेरा आंवटित की गई। उसी दिन से वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा वक्त गुजरते अकाल पडने व पानी सुखने के कारण काश्त नहीं हो पा रही है व पड़त पर आज भी वादी कब्जा है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम मुण्डियागढ में स्थित है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से आवंटन आदेश में भूमि का स्थान मुण्डियागढ की जगह सहवन से सांवत का बास दर्ज कर दिया जब कि सावंत का बास में खसरा नम्बर 221/2 नहीं है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी को ग्राम मुण्डियागढ में स्थित है उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

6. पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के लिए अनावश्यक वाद किया है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

7. प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

1. तनकी संख्या–01:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा दिनांक 29.05.76 के आवंटन आदेश में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 221/2 ग्राम मुण्डियागढ के बजाय ग्राम सांवत का बास गलत अंकित कर आवंटत करने पर आवंटन आदेश में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–01ने अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी द्वारा जमीन आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र में स्वंय को ग्राम सांवत का बास का निवासी बताया है तथा ग्राम सांवत का बास में वादी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया। वादी द्वारा पैरोकार सरकार द्वारा की गई जिरह में भी स्वीकार किया गया है कि वादी द्वारा ग्राम सांवत का बास की भूमि के लिए ही आवेदन किया था। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आवंटन दिनांक से कब्जा काश्त होने का कथन वाद पत्र में किया गया है। परन्तु अपने कब्जे काश्त के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि आवंटन आदेश में वादग्रस्त आराजी ग्राम सांवत का बास में अंकित की गई है। जब कि ग्राम सांवत का बास में उक्त खसरा नम्बर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में हमारा मत है कि वादी द्वारा आवंटन आदेश के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी परन्तु वाद पेश करने तक वादी द्वारा आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी गई। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या–01 को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः हम तनकी संख्या –01 को विरूद्ध वादी निर्णित किया जाना उचित एंव न्याय संगत समझते है।

2. तनकी संख्या 2:– विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादग्रस्त संपति के स्वामित्व और कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। तनकी संख्या–01 वादी के विरूद्ध वादी के विरूद्ध निर्णित की चुकी है। जिसे वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एंव उक्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित करने में पूर्णत असफल रहे है। अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम तनकी–02 विरूद्ध वादी निर्णित किया जाना उचित एंव न्यायसंगत समझते है।

3. तनकी संख्या 3,4 :– तनकी संख्या 1,2 वादी के विरूद्ध तय हो चुकी है। तनकी संख्या 3,4 का विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है।

4. तनकी सं0 5 अनुतोष है। वादी द्वारा तनकी सं0 1 ,2 वाद में साबित करने में असफल रहा है। इसलिए वादी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वादी के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने तथा वाद का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 15.11.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

नाथूराम बनाम सरकार
वाद सं0 462/2016

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. नाथूराम यादव पुत्र नारायणलाल यादव जाति अहीर निवासी सांवत का वास तह0 फुलेरा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये:–

1. श्रीमान जिलाधीश महोदय जयपुर जि0 जयपुर
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील फुलेरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 462/2016 पुराना,07/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मण सिंह व हाजरी ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने तथा वाद सारहीन होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्... ..–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

(सर्वेश शर्मा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।